निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमांक:—एफ.23(82)स्था/निकाशि/RVRES/2012/262 दिनांक:—18.03.13

परिपत्र

राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिको को सेवानिवृति पश्चात अवशेष रही उपार्जित अवकाश पर नकद भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के अनुसार **"राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 (RVRES) के तहत नियुक्त शैक्षणिक/अशैक्षणिक कर्मचारी राज्य कर्मचारी है, जिन पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम प्रभावी है। राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 91B में सेवानिवृत कर्मचारी के उपार्जित अवकाश लेखे में जमा अवकाश की सीमा तक (अधिकतम 300 दिवस) नकद भुगतान करने का प्रावधान है।**

अतः राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त कर्मचारियों को इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति के पश्चात अर्जित उपार्जित अवकाश में से सेवानिवृति पर अवशेष रहे उपार्जित अवकाश के एवज में नकद भुगतान देय है।"

अतः समस्त प्राचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिको को सेवानिवृति पर सरकारी सेवा में नियुक्ति के पश्चात अर्जित उपार्जित अवकाश में से सेवानिवृति पर अवशेष रहे उपार्जित अवकाश के एवज में नकद भुगतान दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति शासन सचिव वित्त(बजट) की आई.डी.संख्या 151300050 दिनांक 21.02.2013 एवं प्रशासनिक विभाग उच्च शिक्षा की आई.डी.संख्या 5/13 दिनांक 25.02.2013 के स्तर से अनुमोदित है।

(नवीन जैन)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप—5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. निजी सचिव, निदेशक कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर ।
4. संयुक्त निदेशक (अनुदान/प्रशासन/अकादमी/योजना) कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर ।
5. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रिय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राज. ।
6. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर ।
7. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राज., जयपुर ।
8. डॉ.धीरेन्द्र देवर्षि, बेबसाइट प्रभारी

अतिरिक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर